

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर  
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 04/17 ई.सी.एक्ट अपील

सोहनलाल पुत्र ईसरराम जाट निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ व जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब नाम :

जिला रसद अधिकारी, बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य  
आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976

उपस्थिति:—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।



: निर्णय :

दिनांक 06.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत रेस्पोडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.17 को अपीलान्ट का प्राधिकार-पत्र निरस्त किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।
2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु कभी नहीं बुलाया। अपीलान्ट को बिना सुने पीठ-पीछे आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दीवानसिंह, मगनसिंह, पन्नाराम के बयानात लेने के बारे में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। जबकि उपरोक्त व्यक्तियों के बयान नहीं लिये गये व ना ही रिकॉर्ड देखा। रिपोर्ट एक पक्षीय है। अपील अपीलार्थी नकल प्राप्ति के अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.4.17 निरस्त फरया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।
4. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि रसद कार्यालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं वैध है। डीलर से माह जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक का राशन वितरण रिकॉर्ड मांगने पर NFSA APL परिवारों का किसी भी माह का गेहूं वितरण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया। बीपीएल, एसबीपीएल एवं अत्योद्य परिवारों हेतु भी केवल माह दिसम्बर, 2013 का गेहूं वितरण रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया, शेष का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। कैरोसीन तेल वितरण का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया। अनियमितताओं को मध्ये नजर रखते हुए माननीय न्यायालय खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 18.7.16 के अनुसरण में उचित मूल्य दुकनदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण से उचित मूल्य दुकनदार का प्राधिकार-पत्र निरस्त करने का निर्णय सही लिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया। क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक का गेहूं वितरण व केरोसीन तेल वितरण का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाना उचित मूल्य दुकनदार की बदनियति परिलक्षित करता है। दौरान बहस भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि उचित मूल्य दुकनदार द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाने के कारण इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.04.17 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( कुमार पाल गौतम )  
जिला कलक्टर, बीकानेर  
जिला कलक्टर, बीकानेर